संख्या-2/2021/42/क0नि0प्र0/26-3-2021-18(109)/2018 टीसी-।

प्रेषक

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी,2021

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. टू एस.सी. एस.पी.) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के दिशा निर्देशों के अनुसार गैप फिलिंग एक्टीविटीज के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित ग्रामों के सापेक्ष प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक संख्या-095/पी0एम0ए0जी0वाई0/2020-21 दिनांक 20 मई 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये 14 जनपद यथा- अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बस्ती, बदांयू, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, हमीरपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, मथुरा, प्रतापगढ़, संतकबीर नगर तथा उन्नाव के कुल 235 ग्रामों में गैप फिलिंग एक्टीविटी संबंधी कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु प्रति ग्राम रू0 20.00 लाख की दर से कुल रू0 47,00,00,000/-(रू0 सैंतालिस करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-35/2020/972/क.नि.प्र./26-3-2020-18(109)/2018 टी.सी.-। दिनांक 21-12-2020 द्वारा स्वीकृत करते हुए प्रश्नगत कार्यो हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 21-12-2020 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) के स्थान पर अब प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु यू.पी. कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू.पी. सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत कार्यो हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 21-12-2020 द्वारा आवंटित धनराशि रू0 4700.00 लाख (रू0 सैंतालिस करोड़ मात्र) की धनराशि चयनित कार्यदायी संस्था यू.पी. कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू.पी. सिडको) को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त शासनादेश संख्या-35/2020/972/क.नि.प्र./26-3-2020-18(109)/2018 टी.सी.-। दिनांक 21-12-2020 को इस सीमा तक सशोधित समझा जाय, शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या-02/2021/42(1)/क.नि.प्र./26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ।
4- संबंधित जिलाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता की मानीटरिंग जिला स्तर पी.एम.ए.जी.वाई. अभिसरण समिति द्वारा नियमानुसार की जायेगी व निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित कर प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू.पी. सिडको) गोमती नगर,लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) लखनऊ।
7 - वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/ वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in